

"ई-मेल"
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क./बोर्ड/लेखा/आ.नि./2020-21/990

भोपाल, दिनांक 01.09.2020

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/
जबलपुर/उज्जैन/सागर/रीवा.

विषय:-मंडी समितियों की विभिन्न निधियों हेतु वर्ष 2019-20 की आय की जानकारियां उपलब्ध कराने बावत्।

--00--

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को (1) राज्य विपणन विकास निधि (किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान निधि आदि) (2) बोर्ड शुल्क एवं (3) आरक्षित निधि (पेंशन निधि) की राशियां प्रतिमाह बोर्ड मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप में भेजने के निर्देश है। कतिपय मंडियों द्वारा वर्तमान में भी निर्धारित प्रारूप में जानकारियों के साथ राशियां नहीं भेजी जा रही है। संयुक्त संचालक/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों की सचिवों की मासिक समीक्षा बैठक में इस विषय पर भी निरंतर समीक्षा की जावे।

वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त हो चुका है, अतः उपरोक्त जानकारियां निर्धारित प्रपत्र (छायाप्रतियां संलग्न) पर संभाग की समस्त मंडी समितियों से प्राप्त कर आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। उक्त जानकारियां मंडी समितियों द्वारा सीधे मुख्यालय भोपाल प्रेषित न की जाये ऐसे निर्देश मंडियों को दे तथा संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय स्तर पर जानकारियां सकलित कर ही भेजी जावें। संभाग की समस्त मंडी समितियों से जानकारियां सकलित कर एकजाई जानकारियां दिनांक 30.09.2020 तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी में निम्नानुसार उल्लेखित ई-मेल आई.डी. पर ई-मेल के माध्यम से एक्सेल शीट पर भेजा जाना भी सुनिश्चित करें।

क्र.	निधि का नाम	ई-मेल आई.डी.
1	राज्य विपणन विकास निधि	mpsambvvn2017@gmail.com
2	बोर्ड शुल्क	mpsambboardshulk2017@gmail.com
3	आरक्षित निधि	mpsamban2017@gmail.com

पत्र को प्राथमिकता दी जाकर वांछित जानकारियां निर्धारित प्रपत्र में नियत तिथि तक उपलब्ध करावे जिससे दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में मंडी समितियों पर अवशेष/बकाया निधियों की राशियों की गणना की जा सके।

संलग्न:-03 प्रपत्र।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभाग की मंडी समितियों द्वारा बोर्ड शुल्क की प्रेषित राशियों एवं

आय का विवरण पत्रक

वर्ष 2019-20

क.	मंडी का नाम	जिला	31.03.2019 की स्थिति में अवशेष राशि (वर्ष 2018-19)	वर्ष 2019-20 में 1.5% मंडी शुल्क से आय	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की आय (1% मंडी शुल्क + अनुज्ञप्ति शुल्क)	स्लेब अनुसार आय पर वर्ष 2019-20 का बोर्ड शुल्क का निर्धारण	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक बोर्ड को प्रेषित की गई बोर्ड शुल्क राशि का विवरण			शेष राशि का विवरण			शेष राशि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेजी गई का विवरण	
							पूर्व वर्ष की बोर्ड शुल्क राशि (2018-19)	वर्तमान वर्ष की बोर्ड शुल्क राशि (2019-20)	कुल राशि	पूर्व वर्ष की बोर्ड शुल्क राशि (2018-19)	वर्तमान वर्ष की बोर्ड शुल्क राशि (2019-20)	कुल राशि		भेजी गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

संयुक्त संचालक / उपसंचालक
 म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 आंचलिक कार्यालय

वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभाग की मंडी समितियों द्वारा आरक्षित निधि की प्रेषित राशियों एवं आय का विवरण पत्रक

वर्ष 2019-20

क.	मंडी का नाम	जिला	31.03.2019 की स्थिति में अवशेष राशि (2018-19)	वर्ष 2019-20 में 1.5 % मंडी शुल्क से आय	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की आय (1 % मंडी शुल्क + अनुज्ञप्ति शुल्क)	10 % आरक्षित निधि का 3/4 भाग बोर्ड को भेजे जाने वाली आरक्षित निधि राशि	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक बोर्ड को प्रेषित की गई आरक्षित निधि राशि का विवरण			शेष राशि का विवरण			शेष राशि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेजी गई का विवरण	
							पूर्व वर्ष की आरक्षित निधि राशि (2018-19)	वर्तमान वर्ष की आरक्षित निधि राशि (2019-20)	कुल राशि	पूर्व वर्ष की आरक्षित निधि राशि (2018-19)	वर्तमान वर्ष की आरक्षित निधि राशि (2019-20)	कुल राशि		भेजी गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचालिक कार्यालय